



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर म.प्र.

दफ्तर-15, सिविक सेंटर, मड़ताल, जबलपुर (म.प्र.)

Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981

क्रमांक 2246/नयानि/18/JBLLP4666/B/40/26.06.2018

जबलपुर, दिनांक 30/07/2018

प्रति,

दत्त रियल इन्फ्रा प्रा0 लि0 द्वारा
डायरेक्टर विशाल दत्त एवं निशांत दत्त
पिता श्री सुधीर दत्त
निवासी : 1148/ए नेपियर टाउन,
जबलपुर, म.प्र.

विषय:- मौजा/ग्राम तिलहरी तहसील जबलपुर के नं.बं. 231, प.ह.नं. 16, खसरा क्रमांक 250/2/2, 250/4/2, रकबा 0.266 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 250/2, 250/4 रकबा 0.260 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 252 के भाग का रकबा 0.050 एवं खसरा क्रमांक 135/3 के भाग का रकबा 0.010 कुल रकबा 0.586 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय बहु इकाई विकास अनुज्ञा बाबत धारा 29(1)।

संदर्भ:- आपका ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2018 इस कार्यालय के आवक क्रमांक 1496 दिनांक 22.06.2018 एवं आवेदक से प्राप्त जानकारी पत्र दिनांक 24.07.2018

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूमि स्वामी दत्त रियल इन्फ्रा प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर विशाल दत्त एवं निशांत दत्त पिता श्री सुधीर दत्त निवासी : 1148/ए नेपियर टाउन, जबलपुर, म.प्र. तहसील जबलपुर के मौजा/ग्राम तिलहरी तहसील जबलपुर के नं.बं. 231, प.ह.नं. 16, खसरा क्रमांक 250/2/2, 250/4/2, रकबा 0.266 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 250/2, 250/4 रकबा 0.260 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 252 के भाग का रकबा 0.050 एवं खसरा क्रमांक 135/3 के भाग का रकबा 0.010 कुल रकबा 0.586 हैक्टेयर भूमि पर बहु इकाई विकास प्रयोजन हेतु अनुज्ञा चाहा गया है। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 29(1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहु इकाई स्थल मानचित्र पर विकास अनुज्ञा चाहा गया है। जो कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक JBLLU4778 जबलपुर दिनांक 10.09.2015 के द्वारा प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग प्रमाण प्रदान कर प्रकरण में संलग्न किया गया है।

जबलपुर विकास योजना-2021 के प्रस्ताव अनुसार विषयांकित भूमि नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत स्थित होकर उपरोक्त भू-उपयोग विकास योजना 2021 के अनुसार आवासीय उपयोग में निर्दिष्ट है, विषयांकित भूमि तक कार्यालयीन पत्र क्रमांक 369/ jblp-4142 दिनांक 05.02.2018 के द्वारा स्वीकृत स्थल मानचित्र अनुसार समन्वित 12.00 मीटर का वर्तमान मार्ग उपलब्ध है। विषयांकित भूमि का स्थल निरीक्षण आवेदक श्री विशाल दत्त की उपस्थिति में श्री आर.बी. पटेल उपयंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 26.06.2018 को किया जाकर प्रतिवेदित किया गया। उत्तर में खुली भूमि दक्षिण में 12.00 मीटर का मार्ग उसके पश्चात बहु इकाई प्रकोष्ठ के स्वीकृत प्रस्ताव में से 12.00 मीटर चौड़ा जो कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3513 दिनांक 09.09.2013 के द्वारा स्वीकृत आवासीय प्लैट दत्त गाईन व्यू को जाने वाली 9.00 मीटर मार्ग से मिलता है। स्थल के ऊपर से किसी भी प्रकार की विद्युत लाईनें नहीं गुजर रही हैं ना ही स्थल पर किसी प्रकार का छायादार वृक्ष नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों एवं शपथ पत्र दिनांक 12.06.2018 नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 201 दिनांक 23.03.2015 वैधता दिनांक 12.02.2020 न्यायालय तहसीलदार जबलपुर का सीमांकन प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 82/2015-16 जबलपुर दिनांक 30.05.2017 तथा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 3074 जबलपुर दिनांक 07.04.2017 द्वारा प्रदत्त नजूल अनापत्ति एवं जबलपुर नगर निगम न्यायालय जबलपुर के पत्र क्रमांक 640 दिनांक 06.06.2017 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवासीय भू-उपयोग परिक्षेव में आवासीय प्रयोजन के लिए बहु इकाई- दत्त गाईन व्यू प्लैट आई.एस.जे.) विकास अनुज्ञा हेतु संलग्न स्थल मानचित्र को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक 3074 दिनांक 07.04.2017 द्वारा प्रदत्त नजूल अनापत्ति एवं जबलपुर नगर निगम न्यायालय जबलपुर के पत्र क्रमांक 640 दिनांक 06.06.2017 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है।

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAND

LIKHAR Date: 2018.07.31 14:28:12 IST

Wb

30(1)(ख) के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-2(5)(क) एवं नियम-27 के अधीन अनुमोदित कर वर्णित शर्तों के साथ दी जाकर म.प्र. नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) और उसके अधीन बनाये गये म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम-1998 संशोधित नियम-19 अप्रैल 2012 के समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित है।

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से विकास निर्माण अनुज्ञा से पूर्व अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा-

अ. म.प्र.भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172

ब. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम-1956 (क्रं.-23 सन्-1956)

स. नजूल विभाग जबलपुर

द. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आपश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।

2. विषयांकित भूमि आवासीय भू-उपयोग परिक्षेत्र में निर्दिष्ट होकर विषयांकित प्रस्ताव में जबलपुर मंडला एन.एच.-12ए से प्रस्तावित भूमि तक 12.00 मीटर चौड़ा पहुँच मार्ग के रूप में उपलब्ध होता है, तत्पश्चात् वर्तमान 9.00 मीटर मार्ग को प्रस्तावित 12.00 मीटर किया जाकर जो कि भूमि स्वामी की भूमि खसरा क्रमांक 135/3 एवं खसरा क्रमांक 252 का भाग से प्रस्तावित कर नियोजन की दृष्टि से समन्वय किया गया है, म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3/155/2013/32 भोपाल दिनांक 29 जून 2013 अनुसार नगर नियोजन के मूल सिध्दांती के अंतर्गत मार्गों का आपसी समन्वय स्थापित किये जाने की परिलक्षिता के मद्देनजर मार्गों को प्रस्तावित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिये गये हैं।

3. स्थल पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण करने के पूर्व आवेदित भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि का राजस्व संहिता की धारा 1959 धारा 165 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 172 के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी

4. सम्मुख मार्ग चौड़ाई के मार्गाधिकार भूमि को सुरक्षित रखने के पश्चात् संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारों ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना आपश्यक होगा। उक्त सीमांत खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इसका पालन आवेदक द्वारा आवश्यक रूप से किया जाये यह सुनिश्चित भवन अधिकारी द्वारा किया जाना होगा।

5. म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रभावशील म.प्र. रियल एस्टेट विनियमन और विकास नियम-2016 के तहत निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से योजना क्रियान्वयन किये जाने से पूर्व प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

6. विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित स्थल मानचित्र क्षेत्र में उपदर्शित प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुमति हेतु स्वीकार्य फर्षी क्षेत्रानुपात, भवन की उंचाई, स्वीकार्य आवृत क्षेत्र आदि की गणना व मापदण्ड जबलपुर विकास योजना-2021 व म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मान्य किये जा सकेंगे।

7. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-93 के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले ढोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान सुरक्षित करना होगा, जिसका प्रबंधन कालोनाईजर संस्था द्वारा स्वयं को करना होगा।

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAND LIKHAR

Date: 2018.07.31 14:28:12 IST

8. म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबन्धन तथा शर्तें) नियम-1998 के नियम-3 के तहत नगर पालिका निगम, जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 201 दिनांक 23.03.2015 सहित अन्य संबंधित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार विकास कार्य की अनुमति प्रदत्त की जावेगी।
9. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-84 के परिशिष्ट-झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों अनुसार अतिशेष पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग एवं आरक्षित सीमांत खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा एवं इस प्रावधान को योजना में नियमानुसार क्रियान्वित कराये जाने का दायित्व स्थानीय संस्था का होगा। वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन के आंतरिक प्रस्ताव अनुमोदित किये जा सकेंगे।
10. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012-के नियम 76-के प्रावधानों अंतर्गत तलघर का उपयोग वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा जिसकी नियमानुसार भवन अनुमति प्रदाय करते समय वाहन पार्किंग कि गणना व प्रत्येक वाहन हेतु पर्याप्त स्थान, आवागमन हेतु नियोजित क्षेत्र एवं ऊंचाई आदि का निर्धारण के पश्चात् ही भवन अनुमति मान्य कि जाए तथा परिशिष्ट-झ 1-के प्रावधानों का भी पालन सुनिश्चित करना होगा।
11. प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कालोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबन्धन तथा शर्तें नियम-1998) प्रभावशील है। उक्त नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबन्धन तथा शर्तें नियम-1998) के अंतर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुये विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा उक्त नियमों में दिनांक 19.04.2012 के नियम-10 के प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के संबंध में प्रस्ताव मानचित्र में कुल निर्मित आवासीय इकाईयों की संख्या के बराबर निर्मित आवासीय इकाई की संख्या के 15 प्रतिशत के बराबर 3:2 के प्रावधान अनुसार निर्मित आवासीय इकाई आरक्षित रखे गये हैं। इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसको समायोजित करने के पश्चात् ही विकास अनुज्ञा जारी की जावे। तथा इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन हो तो विकास अनुज्ञा के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जावे।
12. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
13. नियमानुसार बाह्य विकास लागत राशि/पर्यवेक्षण राशि संबंधित संस्था/विभाग में जमा कराना होगी तथा कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानको/शर्तों के आधार पर पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल मानचित्र में दर्शित समस्त आंतरिक मार्गों एवं बाह्य मार्गों को यथा स्थिति निर्धारित चौड़ाई/लम्बाई का विकास करना होगा मार्गों की भूमि पर किसी भी प्रकार का किसी के भी द्वारा निर्माण या अवरोध किया जाना प्रतिबंधित होगा। तथा बंद मार्गों पर कल-डी-सेक का प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के अनुसार आवेदक को स्वयं के व्यय से करना होगा तथा कल-डी-सेक से प्रभावित भूखण्ड का विक्रय तदनुसार किया जा सकेगा।
15. आवेदक द्वारा भूमि का सीमांकन न्यायालय तहसीलदर जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 82 सन् 2015/16 जबलपुर दिनांक 30.05.2017 प्रस्तुत किया है। तदनुसार सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर स्थल में विसंगति आदि उत्पन्न होने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जावेगी। भूमि सीमा विवाद उत्पन्न होने पर समस्त प्रकरण को निवेदारी आवेदक की होगी।

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAND LIKHAR

Date: 2018.07.31 14:28:12 IST

16. आपके एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अक्स/वटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी आवेदक एवं संबंधित ग्राम पटवारी की होगी। विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-100 एवं 101 का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। म.प्र. शासन के आदेशानुसार एवं म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-67 के अनुसार परिसर में प्रस्तावित खुले क्षेत्र व उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी, जिसका पालन आवेदकों को आवश्यक रूप से करते हुए नियम-88 अनुसार भूकम्परोधी तकनीकी से निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
19. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-52 के अनुसार विद्युत लाईन संबंधी नियम का पालन आवेदक को सुनिश्चित करना होगा।
20. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-32 के प्रावधानों का आवेदक को पालन करना होगा साथ ही स्थल पर अनुमोदित स्थल मानचित्र संबंधी जानकारी 5 x 4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
21. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात् ही निर्मित इकाइयों पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।
22. यह अनुज्ञा विनिर्दिष्ट आवासीय प्रयोजन बहु ईकाई- दत्त गार्डन व्यू फ्लैट आई.(जे.एस. हेतु दी गई है, जिसका उपविभाजन मान्य नहीं होगा। यदि भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र का उप-विभाजन किया जाकर विक्रय किया जाता है, तो अनुमति के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी अथवा दी गई अनुमति के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी अथवा दी गई अनुमति निरस्त कर दी जावेगी।
23. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-63 के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्टिल्ट/खुला स्थान पार्किंग हेतु मापदण्ड लागू होंगे जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा किसी भी रूप में वाहन पार्किंग हेतु प्रावधानित स्टिल्ट/खुला स्थान पार्किंग की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित स्थान सीमांत खुले क्षेत्र में मान्य नहीं होगा।
24. जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियां यदि आवश्यक होगी तो प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
25. प्रस्तुत कोई दस्तावेजों एवं स्थल मानचित्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों एवं साक्ष्य में विसंगति होने या पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके वास्तुविद् की होगी।
26. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 तक यथा संशोधित अधिसूचना 01.09.2009 की अनुसूची की कंडिका 08(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है। तो ईकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी लेवल इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरटी (एसईआईए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट का कार्यवाही सुनिश्चित जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त कर लेनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAND LIKHAR

Date: 2018.07.31 14:28:12 IST

निर्माण के पूर्व ई.आई.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। म.प्र. शासन के आदेशानुसार कालोनी में पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

27. इस मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायालय में दावे के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं होगा तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यवर्तन व विकास अनुमतियाँ प्राप्त नहीं कर लेता।

28. जलमल निकासी- वर्षा के जल की निकासी तथा जलमल संवहन क-ी व्यवस्था एवं पानी की पाइप लाइन, टकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागनगर पालिका निगम/, जबलपुर के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख का निर्माण पी.टी.रेख में की जावेगी तथा नगर निगम के मुख्य ड्रेन से जोड़ा जावेगा। एस-आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।

29. यह अनुज्ञा जबलपुर विकास योजना-म 2021.प्र. भूमि विकास नियम-के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं नियोजन की दृष्टि 2012 से दी गई है। भू-स्वामित्व व भूमि सीमा की वैधानिकता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा वैधानिक पहुँच मार्ग अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर यह स्थल अनुमोदन म.प्र. भूमि विकास नियम-के नियम 2012-के तहत प्रतिसंहरित कर दिया जा 25वेगाए जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी।

(नौरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर म.प्र.

पृ०क्रमांक 22477/2252
नगरनि/18/JBLLP4666/B/40/26.06.2018

जबलपुर, दिनांक 30/07/2018

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर की ओर सूचनार्थ लेख है कि उपरोक्तानुसार आवेदन से शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजय नगर जबलपुर।
4. उप-पंजीयक (स्टाम्प) पंजीयन कार्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालन यंत्री (शहर) म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार जबलपुर की ओर पटवारी खसरा के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का उपरोक्तानुसार अभिमत दिया गया है" की टीप अंकित करने हेतु प्रेषित।

संलग्न:- एक मानचित्र।

(नौरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर म.प्र.

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAND LIKHAR

Date: 2018.07.31 14:28:12 IST